समाहरणालय, सिमडेगा
कल्याण विभाग

इच्छा की अभिव्यक्ति

विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA to TSS) योजना

वित्तीय वर्ष 2018–19 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA to TSS) मद के अंतर्गत सरकार के सचिव, कल्याण विभाग झारखण्ड, रांची के पत्रांक– 242 दिनांक– 27.08.2018 एवं पत्रांक– 302 दिनांक– 30.11.2018 द्वारा सिमडेगा जिला के लिए स्वीकृत योजनाओं के विरूद्ध कुल मो0– 21450000/– (दो करोड़ चौदह लाख पचास हजार) रूपये का आवंटन प्राप्त है। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं जिन्हें रोजगार कार्यक्रम एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्य करने का विशेष अनुभव प्राप्त हो, वैसे संस्थाओं से पूर्ण विवरण के साथ दिनांक– 9/7/2019 को अपराह्न 05:00 बजे तक प्रस्ताव/आवेदन समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सिमडेगा में समर्पित कर सकते हैं:–

योजना का विवरण।

क्र0 सं0	योजना का नाम	कर्णांकित राशि (लाख में)
1	Promotion of Vegitable Cluster with Inter Cropping along with Drip Irrigation(550 HHs@ Rs. 39,000/HHs 11 Villages)	214.50
	Total-	**214.50**

1. सरकारी/ गैर सरकारी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) जो सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट– 1860, ट्रस्ट अधिनियम– 1882, कम्पनीज अधिनियम– 1958 के तहत निबंधित हो एवं सरकारी उपक्रम/निगम/निकाय/कॉपरेटिव/समिति के अधीन लोकहित में कार्य कर रहे हो तथा जिसका निबंधन का तीन साल पूरा हो गया हो।
2. स्वीकृत योजना में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु स्वरोजगार समूह ग्रुप तैयार करना/स्वरोजगार प्रशिक्षण तथा इनके जीवन स्तर को उठाने के लिए सब्जी उत्पादन, Inter Cropping तथा सिंचाई हेतु Drip Irrigation का कार्य संपादित किया जाना है।
3. Income Tax Act- 1961 की Sec.-12A, 12AA एवं Sc. 80GGA में निबंधित संस्था को प्राथमिकता दी जायेगी। इस हेतु इस संबंध में सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगा।
4. गैर सरकारी संस्था को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र संलग्न करना होगा तथा संस्था का वार्षिक Turn Over संबंधित प्रमाण पत्र भी देना होगा।
5. प्रस्ताव दाता का आयकर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति तथा चार्टर्ड एकाउन्टेट का अंकेक्षण प्रतिवेदन/विवरणी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. संस्था के पास वैतनिक/अवैतनिक/मानदेय पर कार्यरत कर्मियों का विवरणी संलग्न करना होगा।

7. संस्था का बायलाज/स्मृति पत्र/नियमावली की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेज संलग्न करना होगा। साथ ही प्रस्ताव के साथ INDEX संलग्न करना होगा।

8. टर्नओवर/मानव संसाधन एवं अनुभव के आधार पर सभी योग्य आवेदकों के अंको का निर्धारण किया जायेगा ताकि सुयोग्य संस्था का चयन किया जा सके।

9. किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

10. विशेष जानकारी के लिए परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सिमडेगा के कार्यालय से कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

11. योजनाओं का क्रियान्वयन इस हेतु चयनित ग्रामों में करना है, ग्रामों की संख्या 11 है, जो बोलबा, कुरडेग, ठेठईटांगर, जलडेगा एवं पाकरटांड़ तथा कोलेबिरा प्रखण्डों के गाँव है।

12. किसी भी प्रकार के वैधानिक दावें का निशपादन सिमडेगा जिला क्षेत्राधीन न्यायालय में निष्पादित होगा।

25/6/2019

परियोजना निदेशक,
समेकित जनजाति विकास अभिकरण,
सिमडेगा।

ज्ञापांक :– 729 दिनांक :– 25.06.19

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त को NIC के Site पर Upload करने का कृपा किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ। अनुरोध है कि इसे हिन्दी एवं अंग्रेजी के दैनिक सामाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, सिमडेगा को सादर सूचनार्थ।

25/6/2019

परियोजना निदेशक,
समेकित जनजाति विकास अभिकरण,
सिमडेगा।